ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत रिट उपरली , विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति वीना देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति बबिता रानी	23-01-16 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप सिंह	2011 से 06/13
2.	श्री नवदीप शर्मा	06/13 से अद्यतन

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में}
1 .	7	अनुदानों का प्राप्त राशियों से अधिक व्यय करने बारे	0.43

2.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	14.03
3.	8	औपचारिकता के बिना खरीद बारे	0.45
4.	9	अनुचित रूप से विक्रय-कर का भुगतान करने बारे	0.06

<u>भाग – दो</u>

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 20-01-2017 से 27-01-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय रिट उपरली में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 08/13,02/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/13, 10/14 व 06/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं नि रीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत रिट उपरली , विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹3000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :274 दिनांक 24 -01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत रिट उपरली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत रिट उपरली के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	273256	131077	404333	39506	364827
2014-15	364827	67964	432791	47055	385736
2015-16	385736	85456	471192	17885	453307

{2} अनुदान:- ग्राम पंचायत रिट उपरली के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	529368	3143096	3672464	2536428	1136036
2014-15	1136036	2287404	3423440	2487045	936395
2015-16	936395	2959171	3895566	2492375	1403191

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB GANGATH	50055727790	55
2.	KCCB ----DO---	50055727789	928083
3.	KCCB -----DO---	50055727803	48137
4.	KCCB -----DO---	50055727767	34229
5.	KCCB -----DO----	50055727756	41
6.	HGB BRANDA	87811700069186	231173
7.	KCCB GANGATH	50055727778	55
8.	KCCB ----DO---	50055875882	69249
9.	KCCB -----DO---	20031004545	32206
10.	KCCB GANGATH	20032006915	492978
11	KCCB ----DO---	20031004668	19784
12.	KCCB -----DO---	117529 31103	508
		TOTAL	1856498

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

(क) दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष:- ₹ 1856498

(ख) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹ 1856498

5. नियमों के विरुद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार बारह बैंक बचत खाते खोले गए है। अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त दस खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹250 वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹ 250 की वसूली शेष थी ।

गृहकर:-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	44760	23130	67890	67500	390
2014-15	390	23630	24020	-----	24020
2015-16	24020	23830	47850	47600	250

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 0.43 लाख अधिक व्यय करने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान IWDP के शीर्ष के अन्तर्गत **₹**42563, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹14.03 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान **₹ 1403191** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 21

दिनांक 27-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹44860** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :22 दिनांक 27-01-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत रिट उपरली को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 **अनुचित रूप से ₹ 5643 विक्रय-कर के भुगतान बारे:-**

वा.सं 41 माह 11/13 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹119647/- का भुगतान मै० दशमेश बोर वेल्स पठानकोट हैंडपंप की खुदाई के लिए किया गया । उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल सं 1123 दिनांक 30-10-13 में विक्रय कर ₹5643 अलग से चार्ज किया गया जोकि अनुचित था। अत: अनुचित रूप से भुगतान ₹5643 को उचित स्त्रोत से वसूल कर उक्त निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये ।

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 23 दिनांक 27-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के

अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

13 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

14 **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 91/2017–खण्ड–1 –2779–2782 दिनाँकः04.05.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत रिट उपरली, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881